नवीन प्रकरण - 3411/2017

राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

न्यायालय- ~~कलेक्टर महोदय, भिण्ड (म०प्र०)~~,

प्र०क्र० /2017-निगरानी III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3411

आज दि. 21-9-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-9-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- शैलेन्द्र सिंह पुत्र जबर सिंह जाति ठाकुर,
2 जगदीश सिंह पुत्र जबर सिंह
निवासी बरहद परगना मेहगांव जिला-
भिण्ड म०प्र० -- निगरानीकर्ता,

बनाम,

बलराम पुत्र गैंदालाल जाति मेहतर,
निवासी बरहद परगना मेहगांव जिला-
भिण्ड म०प्र० -- गैर निगरानीकर्ता,

Rosaya 21-9-17
C.f - 29-9-17

न्यायालय तहसीलदार मेहगांव के प्र०क्र० 7/2016-17अ-12 में पारित आदेश 17/7/2017 के विरूद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा- 50 के अन्तर्गत ।

श्रीमान जी,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार प्रस्तुत है-

1-: यहकि, मौजा बरहद तहसील मेहगांव की आराजी नम्बर 345/2 रकवा 0.80 है० का सीमांकन किए जाने के संबंध में एक आवेदन पत्र लोक सेवा के माध्यम से प्राप्त हुआ प्रकरण दर्ज कियागया रा. नि. मेहगांव कोउक्त आराजी का सीमांकन किए

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3411

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	